सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 11, गुरूवार, *शाके* 1943–अप्रेल 01, 2021 *Chaitra 11, Thursday, Saka 1943- April 01, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 24, 2021

संख्या २३५४-६६ :-मोटरयान अधिनियम १९८८ की धारा ११७ एवं राजस्थान मोटरयान नियम १९९० के नियम ५५८ (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं आदर्श सिधु पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आवंटन पत्र कमांक एफ/जविप्रा/उपा/जोन-८/२०१३/डी/-१९०८ दिनांक ०९.०८.२०१६ द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण जयपुर को आंवटित भूमी कुल क्षेत्रफल ४६५४४.८७ वर्ग मीटर भूखण्ड संख्या एफ-१ वेस्ट वे हाईटस, अजमेर रोड जयपुर को ''बस टर्मिनल'' अभिहित (Designate)करता हूँ।

नोट- उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

आदर्श सिधु,
पुलिस उपायुक्त,
यातायात जयपुर।

OFFICE OF THE DY. COMMISSIONER OF POLICE TRAFFIC, JAIPUR

NOTIFICATION

Jaipur, March 24, 2021

IN EXERCISE OF POWERS CONFERRED UPON ME BY SECTION 117 OF MOTOR VEHICLE ACT 1988 & RULE 5.58 (1) OF RAJASTHAN MOTOR VEHICLE RULES 1990, I**ADARSH SIDHU, DY COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFIC, JAIPUR**, DESIGNATE THE LAND ALLOTED TO RAJASTHAN STATE BUSTERMINAL DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR BY JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR VIDE ALLOTMENT LETTER NO. F/JDA/DC/ZONE-8/2016/D-1908 DATED 09.08.2019 TOTAL LAND AREA OF 46,544.87 SQ.METER PLOT NO. F-1, WEST WAY HEIGHTS, AJMER ROAD, JAIPUR AS **"BUS TERMINAL".**

NOTE: THE ABOVE NOTIFICATION SHALLCOME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN OFFICIAL GAZETTE.

ADARSH SIDHU,
DY. COMMISSIONER OF POLICE,
TRAFFIC, JAIPUR.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।